

रिपोर्ट करने योग्य

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
दांडिक अपील की अधिकारिता**

दांडिक अपील क्रमांक 2025/2022

प्रसाद प्रधान तथा अन्य

... अपीलार्थीगण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

... उत्तरवादीगण

निर्णयन्यायाधीश, एस. रवींद्र भट्ट

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय¹ के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जो वर्तमान अपीलार्थियों पर अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि करती है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य (इसके पश्चात से "राज्य") ने एक घटना के संबंध में अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाया, जिससे एक व्यक्ति वृंदावन की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष का आरोप यह था कि अपीलार्थी/ अभियुक्त और मृतक वृंदावन चचेरे भाई थे। 28.02.2012 की दोपहर को, जब मृतक एक जेसीबी मशीन के माध्यम से अपनी भूमि को समतल कर रहा था, अपीलार्थी उस स्थान पर पहुंचे और उस पर हमला किया। वृंदावन के सिर में चोट सहित कई अन्य चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉ. भागेश्वर पटेल (अ.सा.11) ने उनकी जांच की। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वृंदावन का ऑपरेशन डॉ. एस. एन. मधारिया (अ.सा.15) द्वारा किया गया। हालांकि, वृंदावन जीवित नहीं रह सका और 22 मार्च 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. एस. के. बाग (अ.सा.14) ने पोस्टमॉर्टम किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.28) में कहा कि मृतक की मृत्यु सिर पर लगी चोट के कारण हुई थी।
3. पुलिस ने मृतक वृंदावन की बेटी आरती प्रधान (अ.सा. 1) द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसके पश्चात् से 'एफआईआर') के आधार पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (इसके बाद 'भा.दं.सं') की धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं के तहत प्रकरण दर्ज किया। एफआईआर (प्र.पी. 1) में आरोप लगाया गया कि अपीलार्थीगण मौके पर पहुंचे, वृंदावन के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उस पर हमला किया। अ-1 प्रसाद प्रधान के खिलाफ आरोप था कि वह कुल्हाड़ी से लैस था और उसने मृतक के सिर पर हमला किया। अ-2 लिंगराज प्रधान के खिलाफ आरोप था कि उसके पास कुल्हाड़ी थी और उसने मृतक के पैरों पर हमला किया था। तीसरे आरोपी अ-1 के पोते और अ-2 के बेटे

¹ Dated 20.02.2019 in Cr. A. No. 178/2013

सौदागर प्रधान पर आरोप था कि वह मौके पर गया और मृतक को पकड़ लिया। हालांकि, सौदागर प्रधान इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी नहीं हैं।

4. अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद, विचाराण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर समान आशय रखने और फिर वृंदावन की हत्या करने का आरोप लगाया—उन्हें भा.दं.सं की धारा 294, 323 सहपठित भा.दं.सं की धारा 34, 302 के तहत अपराधों के लिए आरोपित किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा अपराध अस्वीकार करने पर उनका विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों का परीक्षण कराया। आरती प्रधान (अ.सा.1), नरोत्तम (अ.सा. 2), सफेद प्रधान (अ.सा.3), रुकनी (अ.सा.4), अयोध्या बाई (अ.सा.5) और नवीन साहू (अ.सा.6) मृतक के रिश्तेदार हैं। अपीलार्थियों ने बचाव में दो गवाहों का परीक्षण कराया। न्यायालय ने सभी अपीलार्थियों को उनके खिलाफ अधिरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास और भा.दं.सं की धारा 323 के तहत अपराध के लिए छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की अपील आक्षेपित निर्णय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। उच्च न्यायालय ने सौदागर प्रधान को दोनों मामलों में रिहा कर दिया, लेकिन वर्तमान अपीलार्थियों (अ.1 और अ. 2) की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है। वे, परिणाम स्वरूप, इस न्यायालय के समक्ष हैं।

अपीलार्थियों की दलीलें :

5. अपीलार्थियों का तर्क है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। तीन प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता पर संदेह किया गया है, क्योंकि वे मृतक से संबंधित थे और इसके अलावा, अपीलार्थियों के अनुसार, उनके बयान अन्यथा तात्विक विरोधाभासों से ग्रस्त हैं और अविश्वसनीय हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया है कि समग्र रूप से, प्रकरण के साक्ष्य से सामान्य आशय का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवाद एक झटके में उत्पन्न हुआ, अचानक घटनास्थल पर जब मृतक वृंदावन ने विवादित भूमि को समतल करना शुरू कर दिया, तब उसके कारण अपीलार्थी (जो आसपास के घरों में उसी इलाके में रहते थे) अपने घरों से बाहर निकल गए, और कथित रूप से मृतक पर हमला किया। अतः, इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थीगण केवल अपने व्यक्तिगत रूप से किये कार्यों की सीमा तक ही उत्तरदायी हैं। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया था कि यह घटना अचानक और बिना किसी पूर्वचिंतन के हुई। अपीलार्थियों का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, अपितु वृंदावन को विवादित भूमि पर कोई भी गतिविधि करने से रोकना था। अतः, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि भा. दं. सं. की धारा 304 भाग-2 से आगे नहीं जा सकती है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वृंदावन की मृत्यु सर्जरी में जटिलता के कारण घटना के लगभग 20 दिनों के बाद हुई और यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु का कारण चोट

थी क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि मृतक को हुई चोट, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अपीलार्थियों द्वारा कारित चोट, विशेष रूप से सिर की चोट, में सिलाई की गई थी और वह ठीक हो गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि वृंदावन की मृत्यु कार्डियो-रेस्पिरेटरी विफलता के परिणामस्वरूप हुई, जैसा कि अ.सा. 14 द्वारा बताया गया है। ऐसा होने के कारण, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थीगण धारा 302 भा.दं.सं के अपराध के लिये दोषी थे, स्पष्ट रूप से विधिक त्रुटि थी। यह तर्क दिया गया कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक पर अपीलार्थियों द्वारा हमला किया जाना साबित माना जाये तब भी मृत्यु का कारण न तो तत्काल है और न ही इसका सीधा परिणाम है, जिससे भा.दं.सं की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के घटकों का संदेह से परे प्रमाणित होने का कोई प्रश्न नहीं है।

7. यह व्यक्त किया गया था कि समग्र रूप से देखने पर, अपीलार्थियों को, अधिक से अधिक, भा.दं.सं की धारा 304 भाग-1 के तहत गैर-इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि न तो उनका इरादा मृतक को मारने का था और न ही मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त चोट थी। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृतक कि मृत्यु हमले के बाद 20 दिनों तक जीवित रहने की परिस्थिति में हुई थी। यह व्यक्त किया गया कि अपीलार्थियों को उस प्रावधान के तहत संशोधित दोषसिद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। अपने तर्क को उचित ठहराते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थियों और मृतक के बीच विवादों का एक पूर्व इतिहास था। मृतक द्वारा संपत्ति पर टैंक की मरम्मत के लिए एक भारी जेसीबी मशीन मंगवाने के कारण, पूर्व विवादों के इतिहास को देखते हुए अचानक विवाद हुआ, जिसे वास्तव में अभियोजन पक्ष के गवाह अ.सा.1 ने गवाही में बताया भी है। अतः, भा.दं.सं की धारा 300 का अपवाद इस प्रकरण के तथ्यों की ओर आकर्षित होता है।

8. यह व्यक्त किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा तीसरे अभियुक्त सौदागर प्रधान की तरह अपीलार्थियों को संदेह का लाभ नहीं दिया जाकर त्रुटि कि गई है। यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में उसकी कथित संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य और सामग्री वही थी जो अपीलार्थियों के प्रकरण में थी, इसलिए वे भी उसी तरह के व्यवहार के हकदार थे और रिहा कर दिए जाने योग्य थे।

राज्य/उत्तरवादी के तर्क

9. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों के साथ-साथ अधिरोपित दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें कोई स्पष्ट विसंगति या त्रुटि नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने दोनों डॉक्टरों के बयानों का अवलंब लिया और इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पीड़ित अपनी चोटों से कभी ठीक नहीं हुआ और वह एक बयान दर्ज करने की स्थिति में भी

नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि उस पूरी अवधि में जब घटना के बाद पीड़ित जीवित था, वह अस्पताल में था, जहां वह कभी ठीक नहीं हुआ और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।

10. यह तर्क दिया गया कि चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अ.सा. 1 की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है; वास्तव में, वह भी हमले की शिकार थी और एक अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी से वार करने के कारण उसके पैर में चोटें आई थीं। इसी तरह, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक के एक अन्य भाई अ.सा. 2 ने सभी तात्त्विक पहलुओं पर अ.सा.1 के साक्ष्य की पुष्टि की थी। उसने दोनों अभियुक्तों को, जो अ.सा.1 द्वारा अभिसाक्ष्य दिए गए तरीके से, सशस्त्र होते हुए मृतक पर हमला होते हुए देखा था। इसके अलावा, मृतक की पत्नी अ.सा. 3 ने भी अन्य दो गवाहों की गवाही की पुष्टि की है। हालांकि उसने वास्तविक हमले को नहीं देखा था, उसने दोनों अपीलार्थियों को कुल्हाड़ियों से लैस देखा था। अ.सा. 3 की भाभी अ.सा. 4 ने भी अभिसाक्ष्य दिया कि वृंदावन पर उस समय हमला किया गया जब वह सेप्टिक टैंक के पास सफाई कर रहा था और यह कि दोनों अपीलार्थियों ने उस पर कुल्हाड़ियों से हमला किया।

11. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में कहा है कि मृतक की चिकित्सा जांच डॉ. भागेश्वर पटेल (अ.सा. 11) द्वारा की गई थी, जिन्होंने चिकित्सा रिपोर्ट (प्र.पी. 21) तैयार की थी। सर्जन डॉ. एस. एन. मदरिया (अ.सा. 15) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक की खोपड़ी के पीछे का हिस्सा टूट गया था और उसका ऑपरेशन किया गया था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ. एस. के. बाग (अ.सा. 14) ने वर्तमान प्रकरण में मृत्यु के कारण के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें कई चोटों के कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी विफलता की ओर इशारा किया गया था। प्रतिपरीक्षा में, अपीलार्थी गवाह से यह पता नहीं लगा सके कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृतक को लगी चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए अपर्याप्त थी या यह कि मृत्यु सर्जिकल जटिलता के कारण हुई थी न कि चोट के कारण।

12. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों : सुदर्शन कुमार बनाम दिल्ली राज्य², राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह और अन्य³, राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल⁴ और राजस्थान राज्य बनाम लीला राम⁵ का अवलंब लेते हुये यह आग्रह किया है कि इस प्रकरण के तथ्य, अपीलार्थियों के इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि भा.दं.सं कि धारा 304 भाग 2 के तहत आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया गया है। यह व्यक्त किया गया कि इस प्रकरण में पहले से मौजूद विवाद को गंभीर और अचानक उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, यह परिस्थिति कि, पीड़ित कुछ समय के लिए जीवित रहा, स्वतः एक अप्रासंगिक कारक है क्योंकि अभियोजन ने स्थापित किया है

² 1975 (3) SCC 831

³ 2011 (9) SCC 115

⁴ 2019 (5) SCC 639

⁵ 2019 (13) SCC 131

कि मृत्यु का कारण सीधे तौर पर कारित चोटों से जुड़ा हुआ था, जो अपीलार्थियों द्वारा कारित की गई थीं।

13. विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है क्योंकि अपीलार्थियों ने, वास्तव में, एक असामान्य और क्रूर तरीके से व्यवहार किया था और इस परिस्थिति का अनुचित लाभ भी उठाया था कि वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, और मृतक जो न तो सशस्त्र था और न ही उन्हें उकसा रहा था को गम्भीर चोटे कारित किये थे।

विश्लेषण और निष्कर्ष :

14. इस प्रकरण में, अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले की प्रकृति और अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षीयो, विशेष रूप से अ.सा. 1 से अ.सा. 5 के कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के मत में जिस परिस्थिति में अधिकांश साक्षीयो का मृतक से संबंधित होना उनके साक्ष्य को अपवर्जित नहीं करता है। उनके साक्ष्य को विश्वसनीयता या दृढ़ता की कसौटी पर रखने से साक्षी के साक्ष्य पूरी तरह संतुष्टिकारक है। हालांकि अ.सा. 1 मृतक की बेटी है, किन्तु यह तथ्य उसके इस बयान पर संदेह का कारण नहीं है कि उसने अपीलार्थियों को अपने पिता पर कुल्हाड़ियों से हमला करते देखा। उसने हस्तक्षेप करने और मृतक को बचाने की कोशिश की, जिस पर उसके पैर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। अपीलार्थियों की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि साक्षी झूठी गवाही क्यों दे रहा है और न ही इस बारे में कोई स्पष्टीकरण है कि उसे चोट कैसे लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी गवाही की पुष्टि अ.सा. 2, अ.सा. 3 और अ.सा. 4 द्वारा की गई है। अतः, इस न्यायालय के मत में अपीलार्थियों के खिलाफ सभी तथ्यात्मक आरोपों के सभी वास्तविक पहलुओं और उनके द्वारा मृतक पर बिना किसी उकसावे के अचानक हमला करने के तरीके पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

15. तो प्रश्न यह है कि, क्या अपीलार्थीगण भा.दं.सं कि धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के दोषी हैं, या क्या वे भारतीय दंड संहिता की कम गंभीर धारा 304 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं। जैसा कि कई निर्णयों में उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न एक सदी से भी अधिक समय से न्यायालयों के

समक्ष रहा है। भा.दं.सं की धारा 299⁶ और भा.दं.सं की धारा 300⁷ के तहत परिभाषित तरीके से इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य⁸, के एक फैसले में जिसे अब इस मुद्दे पर लोकस क्लासिक्स माना जाता है, इस न्यायालय ने कहा:

"अभियोजन पक्ष को धारा 300 के अधीन प्रकरण लाने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना चाहिए। "पहला, इससे वस्तुनिष्ठ रूप से यह स्थापित होना चाहिए कि कोई शारीरिक क्षति मौजूद है; दूसरा, क्षति की प्रकृति साबित की जानी चाहिए। ये पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हैं। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष क्षति को पहुंचाने का कोई

6 धारा 299 : जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

दृष्टान्त-

(क) क एक गड्डे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित करे या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित हो। य यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

(ख) क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है। ख यह नहीं जानता। य की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे य की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है ख गोली चलाता है और य को मार डालता है। यहां, यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

(ग) क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किन्तु क यह नहीं जानता था कि ख वहां है। यहां यद्यपि क विधिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का, या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था।

स्पष्टीकरण 1 — वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 — जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3 — मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

7 धारा : 300 हत्या : एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा- यदि वह ऐसा शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा : यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा : यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

दृष्टान्त

आशय था, अर्थात् यह कहना कि यह दुर्घटनावश या अनजाने में नहीं था या किसी अन्य प्रकार की क्षति का आशय था। एक बार जब ये तीनों तत्व साबित हो जाते हैं की वे उपस्थित थे, तो जांच आगे बढ़ती है, और चौथे, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर दिए गए तीन तत्वों से बने क्षति के प्रकार, प्रकृति के सामान्य उपक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानपूर्ण है और इसका अपराधी के आशय से कोई लेना-देना नहीं है।

16. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरापु पुन्नाया और अन्य⁹ – इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख किया:

(क) य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणामस्वरूप य मर जाता है। क हत्या करता है।

(ख) क यह जानते हुए कि य ऐसे रोग से ग्रस्त है कि सम्भाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। य उस प्रहार के परिणामस्वरूप मर जाता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता। किन्तु यदि क. यह न जानते हुए कि य किसी रोग से ग्रस्त है, उस पर ऐसा प्रहार करता है, जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ, क, यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है, यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था, जिससे प्रकृति के मामली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए।

(ग) य को तलवार या लाठी से ऐसा घाव क साशय करता है, जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनध्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणामस्वरूप य का मृत्यु कारित हा जाता है यहाँ क हत्या का दोषी है. यद्यपि उसका आशय य की मृत्यु कारित करने का न रहा हो।

(घ) क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है. क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिन्तित परिकल्पना न रही हो।

अपवाद 1. आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

उपर्युक्त अपवाद निम्नलिखित परंतुक के अध्यक्षीन है:-

पहला- यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो।

तीसरा - यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण- प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

दृष्टान्त

(क) य द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में म का, जो य का शिशु है, क साशय वध करता है यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) क को म गम्भीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य का, जो समीप ही है किन्तु दृष्टि से बाहर है, क, य का वध करता है। वध करने का है, और न वह यह जानता है कि सम्भाव्य है कि वह य का वध कर दे। यहाँ, क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

धारा 299 का खंड (बी) धारा 300 के खंड (2) और (3) के अनुरूप है। खंड (2) के तहत आवश्यक मेन्स रिया की विशेषता यह है कि अपराधी को किसी विशेष पीड़ित के बारे में इस तरह की विशेष स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी होती है कि उसे होने वाला आंतरिक नुकसान इस तथ्य के बावजूद घातक होने की संभावना है कि इस तरह का नुकसान सामान्य स्वास्थ्य या स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि मृत्यु कारित करने का आशय खंड (2) की अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। इस खंड की परिधि के भीतर हत्या को कृरने के लिए केवल शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के साथ-साथ अपराधी की इस प्रकार की क्षति के कारण विशेष पीड़ित की मृत्यु होने

(ग) य द्वारा, जो एक बालफह, क विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और ताव आवश्यकता जाता हआर वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गयी थी।

(घ) य के समक्ष, जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। य यह कहता है कि वह क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि क ने शपथ भंग किया हैक को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है।

(ङ) य का नाक खींचने का प्रयत्न क करता है। य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणामस्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

(च) ख पर य आघात करता है। ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। क, जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे य का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ख उस छुरी से य का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किन्तु क हत्या का दोषी है।

अपवाद 2. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, :- यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

दृष्टान्त

क को चाबुक मारने का प्रयत्न य करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपहति कारित हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है। य हमले को चालू रखता है। क सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से य का वध कर देता है। क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, - यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय को अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे।

अपवाद 4. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है- यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण- ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

की संभावना की जानकारी पर्याप्त है। खंड (2) के इस पहलू की पुष्टि धारा 300 के साथ संलग्न दृष्टान्त से होती है।

धारा 299 का खंड (बी) अपराधी की ओर से इस तरह के किसी भी ज्ञान की अभिधारणा नहीं करता है। धारा 300 के खंड (2) के तहत आने वाले मामलों के उदाहरण हो सकते हैं, जहां हमलावर जानबूझकर मुट्ठी से मारने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित एक बड़े हुए यकृत से पीड़ित है, या बड़े हुए प्लीहा या बीमार या हृदय रोग से पीड़ित है और इस तरह के आघात से यकृत के टूटने या प्लीहा या हृदय की विफलता के परिणामस्वरूप उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, जैसा भी प्रकरण हो। यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, न ही मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही वह चोट जिसके द्वारा मृत्यु कारित हुई थी, जानबूझकर दी गई हो।

धारा 300 के खंड (3) में, धारा 299 के संगत खंड (बी) में आने वाले 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' शब्दों के बजाय, 'प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त' शब्दों का उपयोग किया गया है। स्पष्ट रूप से, यह अंतर मृत्यु कारित करने वाली शारीरिक क्षति और मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त शारीरिक क्षति के बीच निहित है। यह अंतर ठीक है लेकिन वास्तविक है और यदि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो न्याय की हत्या हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी) और धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर मृत्यु की संभाव्यता की डिग्री में से एक है जो इच्छित शारीरिक क्षति के परिणामस्वरूप होती है। मोटे तौर पर कहें तो मृत्यु की संभाव्यता का स्तर ही यह अवधारित करता है कि क्या कोई आपराधिक मानव वध सबसे गंभीर, मध्यम या निम्नतम स्तर का है। "धारा 299 के खंड (ख) में" "संभावित" शब्द का अर्थ केवल एक संभावना से अलग है। "शारीरिक क्षति.. प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त" शब्दों का अर्थ है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए, क्षति का "सबसे संभावित" "परिणाम मृत्यु होगी।"

खंड (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी मृत्यु कारित करने का आशय रखता है, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर शारीरिक क्षति या क्षति से होती है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। राजवंत बनाम केरल राज्य [एआईआर 1966 एससी 1874 : 1966

अपवाद 5. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है— यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु को जोखिम उठाए।"

दृष्टान्त

य को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसाकर क उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहाँ, कम उम्र होने के कारण य अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए क ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है।

8 [1958] S.C.R. 1495

9 1977 SCR (1) 601

सप्लीमेंट एससीआर 230 : 1966 सीआरआई एलजे 1509] इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।"

न्यायालय ने इसके पश्चात् विरसा सिंह (पूर्वोक्त) वाले मामले में विनिश्चय को उद्धृत किया और अभिनिर्धारित किया कि:

इस प्रकार विरसा सिंह के प्रकरण में अधिकथित नियम (उपर्युक्त) के अनुसार, यदि अभियुक्त का आशय प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षति पहुंचाने तक सीमित था और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने के आशय तक नहीं था, तो अपराध हत्या होगा। धारा 300 के साथ संलग्न दृष्टान्त (ग) स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को स्पष्ट करता है। धारा 299 का खंड (ग) और धारा 300 का खंड (4) दोनों मृत्यु कारित करने की संभाव्यता के ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकरण के प्रयोजन के लिए इन तत्स्थानी खंडों के बीच विभेद पर अधिक विस्तार देना आवश्यक नहीं है। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि धारा 300 की उपधारा (4) वहां लागू होगी जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की संभाव्यता के बारे में अपराधी का सामान्य ज्ञान, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न है, उसके आसन्न खतरनाक कार्य से कारित होने के बारे में व्यावहारिक निश्चितता के निकट है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम संभाव्यता का होना चाहिए, कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त प्रकार की क्षति कारित करने के जोखिम के लिए किसी बहाने के बिना किया गया हो।"

एक बाद का निर्णय, पुलिचेरला नागराजू @ नागराज रेड्डी बनाम राज्य आंध्र प्रदेश¹⁰ ने इन पहलुओं पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि:

'29. अतः न्यायालय को आशय के महत्वपूर्ण प्रश्न का विनिश्चय सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए क्योंकि इससे यह विनिश्चय होगा कि प्रकरण धारा 302 या 304 भाग 1 या 304 भाग 2 के अंतर्गत आता है या नहीं। ऐसे मामलों में प्रतिशोध, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है कोई आशय न हो। हो सकता है कोई पूर्व-चिंतन न हो। वास्तव में, कोई आपराधिक कृत्य भी नहीं हो सकता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जहां अभियुक्त ऐसे प्रकरण को पेश करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग 1/2 के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित न किया जाए, या गैर-इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में न माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का आशय आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा, निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से इकट्ठा किया जा सकता है;

(i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति;

- (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था;
- (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर किया गया है? ;
- (iv) क्षति पहुँचाने में लगाए गए बल की मात्रा;
- (v) क्या अधिनियम अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था;
- (vi) क्या घटना संयोग से घटित हुई है या कोई पूर्वचिंतन किया गया है;
- (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक कोई अजनबी व्यक्ति था;
- (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, और यदि ऐसा है, तो ऐसे उकसावे का कारण;
- (ix) क्या यह घटना समयानुसार जल्दबाजी में हुई;
- (x) क्या क्षति पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या उसने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है;
- (xi) क्या अभियुक्त ने एक ही प्रहार किया या कई प्रहार किये.

परिस्थितियों की उपर्युक्त सूची निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो आशय के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं।"

17) अतः, वर्तमान मामले की तरह, मामलों में प्रश्न यह है कि क्या हमले के कारण हुई क्षति वह है जो धारा 300 की तीसरी दशा के विवरण के भीतर आती है (यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो) या यदि यह धारा 300 की चौथी दशा की रिष्टि के भीतर आता है ("यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे")।

18. धारा 300 की तीसरी दशा की आवश्यकता तब पूरी होती है जब अभियोजन यह साबित कर देता है कि अभियुक्त ने ऐसी चोट पहुँचाई जो पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होती। निर्धारक तथ्य ऐसी क्षति कारित करने का आशय होगा और यह होगा कि मृत्यु की संभाव्यता की डिग्री (गंभीर, मध्यम या न्यूनतम डिग्री) क्या थी जो यह अवधारित करती है कि, क्या अपराध आपराधिक मानव वध है या हत्या है।

19. चोट की प्रकृति इतनी खतरनाक है कि उसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है (धारा 300 की चौथी दशा) इस बिंदु पर न्यायदृष्टांत में क्षति के परिणामों के प्रति अभियुक्त की अवहेलना और परिणाम के प्रति निर्दयता के तत्व पर बल दिया है, जो आशय को इंगित करता है या दर्शाता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम प्रसाद¹¹ वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

“हालांकि चौथे खंड का आमतौर पर उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहां किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का कोई आशय नहीं है (जैसा कि उदाहरण से पता चलता है), खंड के शब्दों का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां परिणाम के प्रति इस तरह की उदासीनता है और जोखिम ऐसा है कि यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जानता है कि कार्य से मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति होने की संभावना है जो मृत्यु का कारण बन सकती है। इस प्रकरण में रामप्रसाद ने श्री राजजी के कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। यह स्पष्ट है कि ऐसी आग तेजी से फैलती है और बड़े पैमाने पर जलती है। यह जानने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगाता है तो वह जलकर मर सकता है। अतः, यह स्पष्ट है कि राम प्रसाद को पता होगा कि वह राजजी की मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने का जोखिम उठा रहा था, जिससे उनकी मृत्यु होने की संभावना थी। चूंकि जोखिम उठाने के लिए उसके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसका अपराध गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता था, भले ही उसका आशय एम० राजजी की मृत्यु का कारण बनने का न था। उसने एक ऐसा कार्य किया जो इतना खतरनाक था कि इससे मृत्यु होने या चोट लगने की पूरी संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। तदनुसार, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में गलत थे कि अपराध हत्या के दायरे में नहीं आता था।”

इसी प्रकार, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने संतोष आत्मज शंकर पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य¹² का अवलोकन किया,

13. यहां तक कि यह मानते हुए कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड चार के तहत आता है, जो क्षति कारित करने का कार्य है जो बहुत ही खतरनाक है जहां इससे मृत्यु होने की पूरी संभावना है। औसत बुद्धि के किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञान होगा कि मिट्टी का तेल डालना और माचिस की तीली फेंक कर आग लगाना इतना खतरनाक है कि इस तरह के कृत्य से मृत्यु होने की पूरी संभावना है।”

20. इस प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, समवर्ती निष्कर्ष, जिन्हें इस न्यायालय को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, वे हैं कि पहला, अपीलार्थी हमलावर थे, दूसरा, उन्होंने मृतक पर

11 1968 (2) SCR 522

12 (2015) 7 SCC 641

कुल्हाड़ियों से हमला किया, तीसरा, मृतक निहत्था था, चौथा हमले के दौरान, पीड़ित की बेटी, अ.सा.1 मौके पर पहुंची, और अपीलार्थीगण को मना करने का प्रयास किया; पांचवां, अपीलार्थीगण ने पीड़ित पर अपना हमला जारी रखा और गवाह पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया; छठी बात, चूँकि अपीलार्थी को तीन चोटें सिर पर लगी थीं, वह नीचे गिर गया; सातवें, पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, और सर्जरी के लिए दूसरे विशेष अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। आठवां, मृतक अपना बयान दर्ज करने में सक्षम नहीं था, उसे कभी डिस्चार्ज नहीं किया गया और 20 दिनों के बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अंत में, पोस्ट-मॉर्टम करने वाले डॉक्टर (अ.सा.14) ने कहा कि चोटें एक कठोर और भोथरे वस्तु के कारण लगी थीं, और मृतक की मृत्यु हृदय श्वसन विफलता के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप "उसके शरीर पर कई चोटों और उनकी जटिलताएँ थीं। सिर के अलावा, चोट के कई अन्य निशान थे, जैसे कोहनी पर चोट, पीठ के निचले हिस्से में चोट, पसलियों में फ्रैक्चर आदि। मृत्यु के समय वृंदावन की आयु 55 वर्ष थी।

21. अ.सा. 1 (वृंदावन की पुत्री) और अ.सा. 2 (वृंदावन के भाई, नरोत्तम) दोनों के साक्ष्य कथन में यह उल्लेख है कि मृतक और अपीलार्थीगण के बीच पहले से ही विवाद थे। हालांकि, इन दोनों गवाहों ने एक-दूसरे की पुष्टि की और कहा है कि जमीन से संबंधित झगड़ा या विवाद लंबे समय से था। वास्तव में, अ.सा. 2 ने कहा है कि संपत्तियों का बंटवारा भाइयों के बीच हुआ था, जिसके बावजूद ये झगड़े जारी रहे थे।

22. तब प्रश्न यह है कि – क्या मृतक और अपीलार्थियों के बीच अचानक झगड़ा हुआ था जिससे मामला हत्या का नहीं बल्कि अपवाद 4 के अनुसार आपराधिक मानव वध का बनता हो ("यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो")। इस न्यायालय के मत में, कोई "अचानक झगड़ा" नहीं हुआ था। दो महत्वपूर्ण चश्मदीदों, अ.सा. 1 और अ.सा. 2 की गवाही, से यह स्थापित हुआ है कि जब मृतक अपनी संपत्ति पर सेप्टिक टैंक समतल कर रहा था, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया जिसे मृतक द्वारा मना किया गया था। अपीलार्थी, जो बगल की संपत्ति में थे, दीवार पर चढ़ गए, मृतक के घर में प्रवेश किया और कुल्हाड़ियों से उस पर हमला किया। ये तथ्य कि अपीलार्थियों ने बिना किसी उकसावे के मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया, और फिर वे कुल्हाड़ी से लैस होकर, जहां वह था, वहां जाकर उस पर हमला किया, अचानक विवाद होना नहीं दर्शाता है। तर्क के लिये भले ही इन तथ्यों को मान लिया जाए कि अचानक लड़ाई हुई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त क्रूर तरीके से कार्य करने में विफल रहा, या उसने अनुचित लाभ नहीं उठाया। इसका कारण यह तथ्य है कि वे सशस्त्र थे जो उनकी ओर से पूर्व-तैयारी को दर्शाता है। इसके अलावा, दोनों ने वृंदावन के सिर पर हमला किया, जो शरीर का एक मार्मिक अंग है, इस प्रकार अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाया।

23. पुनः, इस प्रश्न पर कि क्या इस मामले के तथ्य धारा 300 के पहले अपवाद में शामिल हैं, यानी कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने वही किया जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था (जो कि हमला करना और गंभीर चोटें पहुंचाना है जिससे वृंदावन की मृत्यु हो गई), जिसका कारण एक गंभीर और अचानक उकसावे के कारण उनका स्वयं पर सयम खोना था, – उत्तर वही है कि इससे प्रावधान (धारा 300 के अपवाद 1) को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। लंबे समय से चले आ रहे पूर्व-विवाद के अलावा, अपीलार्थीगण को "अचानक" उकसावे का कारण क्या था, यह उनके द्वारा नहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने न तो अपवाद 1 के तहत आने के लिए कोई सबूत पेश किया और न ही अभिलेख में मौजूद साक्ष्य इस तरह के दावे की पुष्टि करते हैं। गंभीर और आकस्मिक उकसावे के बारे में बताते हुए, इस न्यायालय ने के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य¹³ वाले मामले में 'गंभीर और आकस्मिक' उकसावे को निम्नलिखित तरीके से लागू करने के लिए तर्कसंगतता के मानक को समझाया है—

"84. क्या "गंभीर और अचानक" "प्रकोपन के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक तर्कसंगत व्यक्ति का कोई मानक है?" तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियों में एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, यह प्रथाओं, शिष्टाचार, जीवन शैली, पारंपरिक मूल्यों आदि पर निर्भर करता है। संक्षेप में, अभियुक्त जिस समाज से संबंधित है उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। हमारे विशाल देश में सभ्यता के सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक के सामाजिक समूह हैं। सटीकता के साथ कोई मानक निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है: न्यायालय को प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसला करना है। इस मामले में यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि आरोपी की प्रकरण में रखे गए एक तर्कसंगत व्यक्ति ने अपना आत्म-नियंत्रण पल भर के लिए या अस्थायी रूप से भी खो दिया होगा, जब उसकी पत्नी ने उसे दूसरे के साथ अपने अवैध संबंध की बात स्वीकार की थी, क्योंकि हम इस साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि आरोपी ने अपना आत्म-नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और जानबूझकर आहूजा की हत्या कर दी।

85. भारतीय विधि, जो वर्तमान जांच से सुसंगत है, के अनुसार है:" (1) "गंभीर और आकस्मिक" "उकसावे की कसौटी यह है कि क्या अभियुक्त की स्थिति में रखे गए समाज के उसी वर्ग के किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को इस प्रकार उकसाया जाएगा तो वह अपना आत्म-नियंत्रण खो देगा।" "(2) भारत में, कतिपय परिस्थितियों में, शब्दों और इशारों से भी किसी अभियुक्त को गंभीर और अचानक उकसाया जा सकता है जिससे कि उसके कार्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद के भीतर लाया जा सके। (3) पीड़ित के पिछले कृत्य द्वारा बनाई गई मानसिक स्थिति को भी यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या बाद के कृत्य अपराध करने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे का कारण बना।" "(4) घातक प्रहार स्पष्ट रूप से उस उकसावे से उत्पन्न होने वाले जुनून के प्रभाव का पता स्पष्ट

रूप से घातक प्रहार से लगाया जाना चाहिए, न कि समय बीतने के बाद जुनून ठंडा होने के बाद या जब अन्यथा पूर्वचिंतन और गणना के लिए जगह और गुंजाइश दी गई थी, उसके बाद।"

24. जब उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान प्रकरण में लागू किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि जब अपीलार्थियों और मृतक के बीच कुछ पुराने तथ्यों को लेकर पहले से ही विवाद थे, तो यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे गंभीर हो गए थे। "इसी तरह, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मृतक ने अपीलार्थियों से कुछ कहा था, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया, जिसके परिणामस्वरूप आत्म-नियंत्रण खो गया और परिणामस्वरूप "गंभीर और अचानक प्रकोपन" हुआ। "किसी भी स्थिति में, यदि कुछ था, तो अपीलार्थियों को प्रासंगिक सामग्री या साक्ष्य को अभिलेख पर लाना चाहिए था, क्योंकि जो तथ्य मौजूद थे, वे उनके विशिष्ट ज्ञान के भीतर थे।

25. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया था कि हमले के 20 दिन बाद वृंदावन की मृत्यु हो गई, और इस तरह के समय की समाप्ति से पता चलता है कि कारित चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस बिंदु पर, ऐसे कई निर्णय हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि समय का अंतराल अपने आप में एक निर्धारक कारण का गठन नहीं होगा जिससे कि अपराधी के दायित्व को हत्या के अपराध से घटाकर गैर इरादतन मानव वध कर दिया जाए, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य¹⁴ वाले मामले में मृत्यु हमले के 13 दिन बाद हुई थी। इसी प्रकार, पटेल हीरालाल जयतरम बनाम गुजरात राज्य¹⁵ वाले मामले में, हमले के एक पखवाड़े के बाद 15 लोगों की मृत्यु हुई और सुदर्शन कुमार (ऊपर) में, हमले के 12 दिनों के बाद मृत्यु हुई थी।

26. कोई रुढ़िबद्ध धारणा या सूत्र नहीं हो सकता है कि जहां मृत्यु चोटें लगने के कुछ समय के अंतराल के बाद होती है (जो मृत्यु का कारण हो सकती हैं), वहां अपराध एक गैर इरादतन मानव वध है। प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं। हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह चोट की प्रकृति है, और यह है कि क्या यह सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु के लिए पर्याप्त है। इस मामले में चिकित्सकीय देखभाल की पर्याप्तता या अन्यथा कोई तात्त्विक कारण नहीं है, इस मामले में चिकित्सकीय देखभाल की पर्याप्तता या अन्यथा कोई तात्त्विक कारण नहीं है, क्योंकि पोस्ट-मॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हुई थी जो मृतक को लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। अतः, चोटों और मृत्यु का गहरा और सीधा संबंध था।

14 1992 (3) SCR 921

15 2002 (1) SCC 22

27. उपर्युक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आक्षेपित निर्णय में कोई विसंगति नहीं है. अतः, अपीलार्थीयो कि दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामतः, अपील खारिज की जाती है, और इस पर कोई वाद व्यय देय नहीं होगा ।

[कृष्ण मुरारी]
न्यायाधीश

[एस. रविन्द्र भट्ट]
न्यायाधीश

नई दिल्ली।

24 जनवरी, 2023.

---00---

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।